



Neutral Citation No.- 2026:AHC:13315

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-1653 वर्ष 2026

कौशल मिश्रा आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: कपिल त्यागी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची का पुनः पुकार किया गया।
2. श्री पी.सी. श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल त्यागी, आवेदक के अधिवक्ता, श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह, राज्य के राज्य विधि अधिकारी की सहायता से सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. आवेदक केस अपराध संख्या-772 वर्ष 2025, धारा 103(1) बी.एन.एस., थाना-बिसरख, जिला: गौतम बुद्ध नगर के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान ज़मानत मांगता है।
4. आवेदक के वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक को अतिरिक्त ज़िला: एवं सत्र न्यायाधीश, गौतम बुद्ध नगर की अदालत द्वारा दिनांक 20.11.2025 के आदेश द्वारा धारा 105, 3(5) बी.एन.एस. के तहत प्रस्तुत मामले में ज़मानत दी गई थी। आवेदक ने पहले उसे दिए गए अवसर का दुरुपयोग नहीं किया है, लेकिन बाद में सूचनाकर्ता द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर धारा 103(1) बी.एन.एस. को जोड़ा गया है।
5. आवेदक के वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा है कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है और उसका नाम सह-आरोपी व्यक्ति और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बयान में आया है। उक्त



सीसीटीवी फुटेज में, आवेदक स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुए कई फुटेज के आधार पर, आवेदक को घटनास्थल पर मौजूद बताया गया है।

6. आवेदक के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे तर्क दिया गया है कि आवेदक को सौंपे गए आपराधिक इतिहास को समझाया गया है। आवेदक 9.10.2025 से जेल में बंद है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

7. राज्य विधि अधिकारी ने जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया है।

8. सर्वोच्च न्यायालय ने **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2020 (11) एस.सी.सी. 648** में कहा है कि एक आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामलों का लंबित होना जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है, यदि अन्यथा जमानत का उसका मामला बन जाता है।

9. "जब तक दोषी साबित न हो जाए" का प्रसिद्ध सिद्धांत एक नियम के रूप में जमानत और अपवाद के रूप में कारावास की अवधारणा को जन्म देता है।

10. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को केवल इसलिए नहीं छीना जा सकता है क्योंकि उस व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप लगाया जाता है जब तक कि अपराध एक उचित संदेह से परे स्थापित नहीं हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी का भी जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता तब तक नहीं छीनी जा सकती जब तक कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, और प्रक्रिया न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। उक्त सिद्धांत को उच्चतम न्यायालय द्वारा **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, (2022) 10 एस.सी.सी. 51** में दोहराया गया है।

11. उपरोक्त दृष्टिकोण को दोहराते हुए, **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 आई.एन.एस.सी. 595** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से इस बात पर जोर दिया है कि कानून के बहुत अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत कि जमानत को सजा के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए, को भुलाया नहीं जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि न्यायालयों को इस सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए कि "जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है"।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. अपर शासकीय अधिवक्ता/राज्य विधि अधिकारी किसी भी असाधारण परिस्थिति को सामने नहीं ला सके जो आवेदक को ज़मानत से इनकार कर दे।

13. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, प्राथमिकी के गठन में देरी को ध्यान में रखते हुए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम रूप से, न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने ज़मानत के लिए मामला बनाया है। ज़मानत आवेदन की **अनुमति** है।

14. आवेदक- कौशल मिश्रा, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो-दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज़ आदेश जारी करने से पहले, ज़मानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

15. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

जनवरी 20, 2026

विकास वर्मा

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)